

प्रेस नोट थाना झंगहा जनपद गोरखपुर दिनांक 25.06.2026

अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब का निष्कर्षण व विक्रय करने के आरोप में 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 50 लीटर अपमिश्रित शराब, यूरिया व नौसादर बरामद

अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी चोरी चौरा के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष झंगहा के नेतृत्व में उ0नि0 अवधेश तिवारी द्वारा पुलिस टीम के साथ मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त टकलू उर्फ पूर्णमासी पुत्र जगदीश साहनी निवासी बसन्तपुर राजधानी थाना झंगहा जनपद गोरखपुर के कब्जे से 50 लीटर अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब, 500 ग्राम नौसादर व 1 कि0ग्रा0 यूरिया बरामद करते हुए गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 365/2026 धारा 60 आबकारी अधि0 व 274 बीएनएस पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

टकलू उर्फ पूर्णमासी पुत्र जगदीश साहनी निवासी बसन्तपुर राजधानी थाना झंगहा जनपद गोरखपुर

पंजीकृत अभियोग –

मु0अ0सं0 365/2026 धारा 60 आबकारी अधि0 व 274 बीएनएस थाना झंगहा, गोरखपुर।

आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 174/2021 धारा 60 आबकारी अधि0 व 274 बीएनएस थाना झंगहा जनपद गोरखपुर।

बरामदगी

अभियुक्त के कब्जे से 05 अदद प्लास्टिक की पिपिया में करीब 10 - 10 लीटर के कुल 50 लीटर अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब, 500 ग्राम नौसादर व 1 कि0ग्रा0 यूरिया।

गिरफ्तारी की टीम-

1. अनूप कुमार सिंह थानाध्यक्ष थाना झंगहा गोरखपुर।
2. उ0नि0 अवधेश तिवारी थाना झंगहा गोरखपुर।
3. का0 मोहित सिंह थाना झंगहा जनपद गोरखपुर।
4. का0 राजकुमार चौहान थाना झंगहा जनपद गोरखपुर।
5. रि0म0का0 कंचन कुमारी थाना झंगहा जनपद गोरखपुर।
6. रि0म0का0 साक्षी तिवारी थाना झंगहा जनपद गोरखपुर।